# बिहार सरकार
## कृषि विभाग

पत्रांक–21/कृ०विप०नि०(स्था०)–74/2025– 06 /कृ०, पटना दिनांक– 22 जनवरी, 2026

**!! आदेश !!**

चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023–28 अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने, किसानों को कृषि उत्पाद के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्द्धन, निर्यात, ग्रामीण हाटों का विकास आदि के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया है। कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर कार्यों के संपादन हेतु सहायक निदेशक (शष्य), जिला कृषि विपणन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी तथा अवर कृषि पदाधिकारी (विपणन) का पद सम्परिवर्त्तन/पुर्नगठन किया गया है। कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति करने तथा क्षेत्रीय एवं बाजार प्रांगण स्तर पर विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

**(क) सहायक निदेशक (शष्य), जिला कृषि विपणन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी का कार्य एवं दायित्व** :–

1. अवर कृषि पदाधिकारी (विपणन) के द्वारा किये जाने वाले विभागीय कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण से संबंधित संपूर्ण कार्य ।
2. कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०) के बाजार प्रांगणों के विकास कार्य ।
3. जिला अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन (FPOs) के बीच कार्य ।
4. जिला अंतर्गत कृषि निर्यात हेतु कार्य ।
5. जिला अंतर्गत RKVY भण्डारण की 2025–26 देयता योजना के कार्यान्वयन का कार्य ।
6. जिला अंतर्गत राजकीय बाजार प्रांगण की व्यवस्था ।
7. जिला अंतर्गत जी०आई० (GI) उत्पादों के विपणन/निर्यात की व्यवस्था ।
8. बाजार प्रांगण में PPP मोड के कार्य ।
9. जिला अंतर्गत ग्रामीण हाट/सैरात विकास का कार्य ।
10. जिला अंतर्गत FPO मेला/Buyer-Seller Meet आदि ।
11. जिला अंतर्गत कृषि उत्पादों के बाजार की व्यवस्था संबंधित कार्य ।
12. जिला अंतर्गत ई–नाम/Market Intelligence/बाजार भाव का कार्य करना ।
13. जिला में बाजार प्रांगण में Common Facility Centre की व्यवस्था करना ।
14. जिला अंतर्गत भण्डारण/कोल्ड स्टोरेज के कार्य ।
15. बाजार प्रांगण के Common Facility Centre की व्यवस्था एवं संचालन ।
16. बाजार प्रांगण को किसानों–ट्रेडर के बीच समन्वय स्थापित कर कृषि उत्पादन के लिए बाजार प्रणाली से जोड़ना।
17. एपीडा द्वारा संचालित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेले में किसानों/कृषक समूहों/महिला किसानों/जैविक/जी०आई० समूहों की भागदारी संबंधी कार्य ।
18. लेखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र/डी०डी०ओ० आदि का कार्य ।
19. जिला अंतर्गत कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय ।
20. जिला अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय के अधीनस्थ पदाधिकारियों का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन देना ।
21. जिला अंतर्गत RIDF-NABARD योजना का कार्यान्वयन ।
22. जिला अंतर्गत AIF योजनाओं का संचालन ।

23. जिला अंतर्गत कृषि निवेश से संबंधित कार्य ।
24. विश्वविद्यालय संस्थान/के०भी०के०/मखाना बोर्ड/नारियल बोर्ड/अन्य संस्थानों के साथ समन्वय ।
25. पी०पी०पी०ए०भी०सी०डी० संबंधी कार्य/अधिप्राप्ति कार्य ।
26. जिला अंतर्गत प्राप्त पेंटेट की जानकारी तथा पेटेन्टेड उत्पादों के विकास कार्य ।
27. E-Compliance Dashboard/RTPS/सूचना का अधिकार/अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन का ससमय जाँच/निष्पादन ।
28. विधान सभा/विधान पर्षद/लोक सभा/राज्य सभा आदि के प्राप्त प्रश्नों के जिला संबंधी सूचना का सम्प्रेषण ।
29. माननीय न्यायालय/अन्य ट्राईबनल/लोकपाल आदि से संबंधित कार्यों का ससमय निष्पादन।
30. जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय कर कार्य का निस्तार करना।
31. सभी आवश्यक बैठकों में भाग लेना ।
32. जिला अंतर्गत आवश्यक बैंकिंग संस्थान यथा नाबार्ड/पोस्ट ऑफिस अन्य के साथ समन्वय ।
33. जिला के कृषि निर्यातकों/प्रसंस्कत्ताओं/एफ०पी०ओ० के बीच बाजार लिंक की संभावना तलाशना एवं क्षमतावर्द्धन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना ।
34. जिला के सभी प्रमुख उत्पादों हेतु विभिन्न कृषि विपणन मॉडलों को तैयार करना एवं आधुनिक विपणन पद्धतियों से जोड़ने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना ।
35. केन्द्र/राज्य/कृषि रोड मैप अंतर्गत विपणन संबंधी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोग करना ।
36. केन्द्र/राज्य के कृषि विपणन संबंधी एप्प/पोर्टल/डिजिटल प्लेटफार्म पर अपने जिला से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना ।
37. बाजार प्रांगण के निर्मित एवं निर्माणाधीन अवसंरचनाओं यथा विपणन यार्ड आदि/परिसम्पत्तियों की साफ–सफाई, रख–रखाव, सुरक्षा एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना ।
38. जिला के विपणन यार्ड में अतिक्रमण अथवा कोई अवैध गतिविधि पायी जाती है तो संबंधित जिला पदाधिकारी को तत्काल सूचित करना ।
39. सभी जिला कृषि विपणन पदाधिकारी जिला स्थित बाजार प्रांगण के अंदर अवस्थित कार्यालय में प्रतिदिन बैठेंगे तथा किसानों के हित में उनके कृषि उत्पादों के विपणन में तथा सरकारी की सभी संबंधित योजनाओं का निगरानी एवं अनुश्रवण करना ।
40. जिला में कृषि उत्पादों के विपणन विकास हेतु किसान प्रशिक्षण, गोष्ठी, चौपाल, मूल्य संवर्द्धन कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना ।
41. अन्य कार्य, जो कृषि विपणन निदेशालय द्वारा आवंटित किया जाय ।

**(ख) <u>कृषि विपणन निदेशालय के अधीन जिला स्तर पर अवर कृषि पदाधिकारी (विपणन) का कार्य एवं दायित्व</u> :–**

1. सहायक निदेशक (शष्य), जिला कृषि विपणन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी के विभागीय कार्यों में संपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना ।
2. किसान उत्पादक संगठन (FPOs) से संबंधित संपूर्ण कार्य ।
3. FPO मेला/Buyer-Seller Meet आदि का कार्य ।

4. कृषि निर्यात से संबंधित संपूर्ण कार्य ।
5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) भण्डारण का वित्तीय वर्ष 2025–26 की देयता योजना की समीक्षा का कार्य ।
6. जी०आई० (GI) उत्पादों के विपणन/निर्यात की व्यवस्था ।
7. जिला अंतर्गत ग्रामीण हाट/सैरात विकास का कार्य ।
8. भण्डारण/कोल्ड स्टोरेज का कार्य ।
9. एपीडा द्वारा संचालित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेले में किसानों/कृषक समूहों/महिला किसानों/जैविक/जी०आई० समूहों की भागदारी संबंधी कार्य ।
10. लेखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संपूर्ण कार्य ।
11. सहायक निदेशक (शष्य), जिला कृषि विपणन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी के साथ समन्वय कर उनके निदेशानुसार कार्य करना ।
12. RIDF-NABARD योजना का कार्यान्वयन ।
13. कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजनाओं का संचालन ।
14. कृषि निवेश से संबंधित कार्य ।
15. विश्वविद्यालय संस्थान/के०भी०के०/मखाना बोर्ड/नारियल बोर्ड/अन्य संस्थानों के साथ समन्वय में सहयोग प्रदान करना ।
16. पी०पी०पी०ए०भी०सी०डी० संबंधी कार्य/अधिप्राप्ति कार्य ।
17. क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त पेंटेट की जानकारी तथा पेटेन्टेड उत्पादों के विकास कार्य ।
18. E-Compliance Dashboard/RTPS/सूचना/अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन का ससमय जाँच/निष्पादन ।
19. विधान सभा/विधान पर्षद/लोक सभा/राज्य सभा आदि के प्राप्त प्रश्नों के निष्पादन संबंधी संपूर्ण कार्य ।
20. माननीय न्यायालय/अन्य ट्राईबनल/लोकपाल आदि से संबंधित कार्यों का ससमय निष्पादन कराने का कार्य ।
21. सभी आवश्यक बैठकों में भाग लेना ।
22. बैंकिंग संस्थान यथा नाबार्ड/पोस्ट ऑफिस अन्य के साथ समन्वय ।
23. अन्य कार्य, जो कृषि विपणन निदेशालय द्वारा आवंटित किया जाय ।

**(ग) कृषि विपणन निदेशालय के अधीन बाजार प्रांगण स्तर पर अवर कृषि पदाधिकारी (विपणन) का कार्य एवं दायित्व** :–

1. कृषि निर्यात से संबंधित संपूर्ण कार्य ।
2. राजकीय बाजार प्रांगण की व्यवस्था ।
3. जी०आई० (GI) उत्पादों के विपणन/निर्यात की व्यवस्था ।
4. बाजार प्रांगण में PPP मोड के कार्य ।
5. जिला अंतर्गत ग्रामीण हाट/सैरात विकास का कार्य ।
6. जिला अंतर्गत कृषि उत्पादों के बाजार की व्यवस्था संबंधित कार्य ।
7. ई–नाम/Market Intelligence/बाजार भाव का संपूर्ण कार्य ।
8. बाजार प्रांगण में Common Facility Centre की व्यवस्था एवं संचालन संबंधित संपूर्ण कार्य।
9. बाजार प्रांगण के निर्मित एवं निर्माणाधीन अवसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों की साफ–सफाई, सुरक्षा एवं प्रबंधन का संपूर्ण कार्य ।

10. बाजार प्रांगण में भण्डारण/कोल्ड स्टोरेज का कार्य ।

11. बाजार प्रांगण को किसानों–ट्रेडर के बीच समन्वय स्थापित कर कृषि उत्पादन के लिए बाजार प्रणाली से जोड़ने का कार्य ।

12. लेखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संपूर्ण कार्य ।

13. सहायक निदेशक (शष्य), जिला कृषि विपणन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी के साथ समन्वय कर उनके निदेशानुसार कार्य करना ।

14. RIDF-NABARD योजना का कार्यान्वयन ।

15. E-Compliance Dashboard/RTPS/सूचना/अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन का ससमय जाँच/निष्पादन ।

16. विधान सभा/विधान पर्षद/लोक सभा/राज्य सभा आदि के प्राप्त प्रश्नों के निष्पादन संबंधी संपूर्ण कार्य ।

17. माननीय न्यायालय/अन्य ट्राईबनल/लोकपाल आदि से संबंधित कार्यों का ससमय निष्पादन कराने का कार्य ।

18. सभी आवश्यक बैठकों में भाग लेना ।

19. बैंकिंग संस्थान यथा नाबार्ड/पोस्ट ऑफिस अन्य के साथ समन्वय ।

20. अन्य कार्य, जो कृषि विपणन निदेशालय द्वारा आवंटित किया जाय ।

उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

**(मदन कुमार)**
संयुक्त सचिव,
कृषि विपणन निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–21/कृ०विप०नि०(स्था०)–74/2025– 37 /कृ०, पटना दिनांक– 22 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०)/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**संयुक्त सचिव,**
कृषि विपणन निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–21/कृ०विप०नि०(स्था०)–74/2025– 37 /कृ०, पटना दिनांक– 22 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि०), पटना/अपर

सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि०/सभी संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृ०अभि०), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि सरंक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/सभी सहायक निदेशक (शष्य), जिला कृषि विपणन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी /अवर कृषि पदाधिकारी (विपणन) एवं कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

22.01.26

**संयुक्त सचिव,**
कृषि विपणन निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–21/कृ०विप०नि०(स्था०)–74/2025– 37 /कृ०, पटना दिनांक– 22 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य), सूचना एवं जन सम्पर्क/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु प्रेषित ।

22.01.26

**संयुक्त सचिव,**
कृषि विपणन निदेशालय,
बिहार, पटना ।